अध्याय–II

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-II

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गए संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)

2.1 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की जाती है। इन पीएसयू में सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में, 115 पीएसयू (42 अकार्यरत पीएसयू सहित 109 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की स्थापना (फरवरी 1974) की। डीपीई के कार्यों में, विभिन्न मामलों[1] में प्रशासनिक विभागों को सहायता प्रदान करना; पीएसयू को उनके नियमावली, नियम, प्रक्रिया आदि तैयार करने में सहायता करना; सुधार/पुनर्वास/पुनर्गठन पैकेज की तैयारी एवं निष्पादन में और गतिविधियों को बंद करने के निष्पादन में सहायता करना; पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करना और पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीपीई की तकनीकी शाखा यथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना (मार्च 1981) निदेशालय के रूप में कार्य करने हेतु की। बीपीई के कार्यों में, पीएसयू का आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा तथा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; डीपीई, प्रशासनिक विभागों, वित्त विभाग और पीएसयू को तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करना; लम्बित लेखों को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू के वार्षिक लेखों को अन्तिमीकृत करने की प्रगति का अनुश्रवण करना; निर्णय लेने और सुधार, पुनर्वास एवं पुनर्गठन के लिए रणनीति तैयार करने में पीएसयू की सहायता करना आदि शामिल है।

डीपीई का नेतृत्व प्रमुख सचिव/सचिव करते हैं जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के पदेन महानिदेशक भी होते हैं।

अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

2.1.2 उत्तर प्रदेश में, 109 सरकारी कम्पनियों में से 42 अकार्यरत थीं। ये एक वर्ष से 39 वर्ष पूर्व की अवधि से अपना कार्यकलाप बंद कर चुकी थी। इन अकार्यरत पीएसयू को 1924 से 2013 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों **(परिशिष्ट–2.1 एवं परिशिष्ट–2.2)** की पूर्ति हेतु लोगों के कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। अकार्यरत पीएसयू में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

31 मार्च 2021 को 42 अकार्यरत पीएसयू की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है।

---

[1] निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति करना, पीएसयू की व्यवहार्यता रिपोर्ट/परियोजनाओं/योजनाओं/गतिविधियों का मूल्यांकन, पीएसयू के निधि जारी करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन और पीएसयू के नियमों, मैनुअल, प्रक्रियाओं आदि पर अनुमोदन/टिप्पणियाँ देना।

तालिका 2.1: अकार्यरत पीएसयू की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	पीएसयू
1	सरकार/निदेशक मण्डल द्वारा संचालन बंद करने हेतु जारी आदेश/निर्देश। (परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है)	29
2	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	11
3	स्वैच्छिक परिसमापन (सरकार द्वारा परिसमापक नियुक्त)	2

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि, 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 29 पीएसयू के संचालन को बंद करने के आदेश सरकार या निदेशक मण्डल द्वारा जारी किये गए थे जबकि 13 पीएसयू बंद करने के आदेश के बाद परिसमापनाधीन थे। 31 मार्च 2021 को इन 29 पीएसयू में कुल निवेश, कुल संचित घाटा और निवल मूल्य क्षरण क्रमशः ₹ 1,045.93 करोड़, ₹ 1,212.65 करोड़ और ₹ 632.38 करोड़ था **(परिशिष्ट–2.3)**।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी:

- अकार्यरत पीएसयू की निरंतरता बनाये रखने के अंतर्निहित कारण,
- क्या अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट नीति/दिशा–निर्देश/कार्य योजना है,
- क्या सरकारी खजाने पर और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अकार्यरत पीएसयू के परिसमापन के लिए समय पर कार्यवाही की गई थी।
- अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों, डीपीई तथा बीपीई के अनुश्रवण तंत्र की प्रभावकारिता।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- पीएसयू के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन;
- कम्पनी अधिनियम, 1956, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम;
- निदेशक मण्डल की कार्यसूची और बैठकों के कार्यवृत्त; प्रशासनिक आदेश, बजट आवंटन नियम और पीएसयू के वार्षिक लेखे;
- सरकार और बीपीई द्वारा जारी किये गए संकल्प/अधिसूचनाएँ/परिपत्र/आदेश; एवं
- माननीय न्यायालय/सांविधिक निकायों द्वारा जारी आदेश/निर्देश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.5 अकार्यरत पीएसयू की लेखापरीक्षा, परिसमापनाधीन[2] पीएसयू को छोड़कर, दिसम्बर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान पीएसयू के अकार्यरत होने से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए की गई थी। 12 जनवरी 2022 को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित पीएसयू के प्रबंधन के साथ एंट्री कान्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने पीएसयू/विभागों के मुख्यालयों में अभिलेखों की जाँच की। 27 जुलाई 2022 को आयोजित एक्ज़िट कान्फ्रेंस में सरकार एवं प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

[2] परिसमापनाधीन 13 पीएसयू के सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने प्रस्तर 2.1.11.1 में इन पीएसयू के परिसमापन में अत्यधिक देरी पर टिप्पणी की है।

लेखापरीक्षा की परिसीमा

2.1.6 अकार्यरत पीएसयू के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा को निम्नलिखित परिसीमाओं का सामना करना पड़ाः

- 13 पीएसयू के अभिलेख, जो या तो न्यायालय के आदेश या स्वैच्छिक समापन के तहत परिसमापन के अधीन थे, की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि ये आधिकारिक परिसमापक के कब्जे में थे एवं सरकार से कई अनुरोधों के बावजूद लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए।
- छः[3] कम्पनियों के अभिलेख, जो संचालन बंद करने के आदेश के बाद से अकार्यरत थे, की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि अधिकांश अभिलेख दीमक द्वारा नष्ट कर दिए गए थे या अभिलेख चोरी हो गए थे।
- आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच, अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण नहीं की जा सकी क्योंकि अभिलेखों के संरक्षक, प्रबंधन को अभिलेख सौंपे बिना ही सेवानिवृत्त हो गए थे।
- बुन्देलखण्ड विकास निगम कम्पनी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच, कई अनुरोधों के बावजूद प्रबंधन द्वारा अभिलेख नहीं दिए जाने के कारण, नहीं की जा सकी।
- पीएसयू के परिसमापन में जाने की तिथियों से सम्बन्धित आंशिक जानकारी को छोड़कर डीपीई और बीपीई से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए थे।
- अन्य अकार्यरत पीएसयू की लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे, जैसा कि **परिशिष्ट–2.4** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.7 29 अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गई है।

पीएसयू के निरंतर अकार्यरत रहने का कारण

2.1.8 शासनादेश संख्या 863/44–2–1994 दिनांक 1 जून 1994 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कार्य कुशलता सुनिश्चित करने, सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने और जहाँ आवश्यक हो उनका निजीकरण करने के लिए नीति को मंजूरी दी। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के साथ–साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। नीति में अग्रेतर प्रावधान किया गया है कि सामाजिक हित/जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले पीएसयू के सिवाय अन्य पीएसयू जिनकी वार्षिक हानि **₹** 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके निवल मूल्य में आधे या आधे से अधिक का क्षरण हुआ हो, की समीक्षा, निजीकरण के लिए की जानी चाहिए।

पीएसयू के कुशल कामकाज के पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों की होती है। इसके अलावा, रुग्ण/अकार्यरत पीएसयू के बंद करने के लिए प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम विचार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन आधारित और कुशल बनाना जनहित में है ताकि अग्रेतर हानियों को कम करने के लिए ऐसे निर्णय समयबद्ध तरीके से लिए और लागू किए जा सकें।

---

[3] वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड, गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड एवं लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईः

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू का संचालन एक से 31 वर्षों से बंद था **(परिशिष्ट–2.1)**। इनमें से दो पीएसयू में एक से दस वर्ष, 10 पीएसयू में 11 से 20 वर्ष, चार पीएसयू में 21 से 25 वर्ष एवं 13 पीएसयू में 26 से 31 वर्ष के दौरान बंद होने की अवधि थी। प्रशासनिक विभागों या डीपीई द्वारा इन पीएसयू के परिसमापन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। 29 अकार्यरत पीएसयू में से, 10 पीएसयू का निवल मूल्य ऋणात्मक था, लेकिन न तो प्रशासनिक विभागों द्वारा और न ही डीपीई द्वारा इन पीएसयू के निजीकरण हेतु संभावना का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया, जैसा कि नीति में निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों तथा डीपीई की निष्क्रियता के कारण ये पीएसयू अकार्यरत बने रहे एवं ₹ 131.28 करोड़ का विविध व्यय किया जैसा कि **प्रस्तर 2.1.12.1** में चर्चा की गयी है। इन पीएसयू के अकार्यरत होने का कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था, बिगड़ती वित्तीय स्थिति, कच्चे माल की अनुप्लब्धता/उच्च कीमतें, स्थापित क्षमता का कम उपयोग, पुरानी मशीनरी आदि थे। प्रशासनिक विभाग/डीपीई/बीपीई, उपरोक्त नीति के अनुपालन में किये गए प्रयासों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे।

- इसके अलावा, पूर्ववर्ती रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 15 सह पठित धारा 3(ओ), के अनुसार जब कोई औद्योगिक कम्पनी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन जाए तो कम्पनी का निदेशक मण्डल, कम्पनी के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले उपायों के निर्धारण के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित करेगा ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1992 से 1996 की अवधि के दौरान केवल छः[4] पीएसयू एसआईसीए के प्रावधानों के अन्तर्गत बीआईएफआर में गए और 2016 में एसआईसीए को निरस्त करने के समय भी प्रकरण बीआईएफआर के समक्ष लंबित था। तद्नुसार, इन पीएसयू को नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के अनुसार राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण में जाना था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। इस प्रकार सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों/डीपीई/बीपीई की ढिलाई के कारण, इन पीएसयू के परिसमापन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और उन पर ₹ 112.71 करोड़ के व्यय के साथ वे 25 से 29 वर्षों से जड़ अवस्था में बने हुए हैं।

अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों के प्रबंधन में अनियमितताएँ

2.1.9 जैसा कि **प्रस्तर 2.1.1** में चर्चा की गई है, डीपीई को प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपीई ने आज तक (जुलाई 2022) अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई नीति/दिशा–निर्देश तैयार नहीं किया था। इसके अलावा, इसने अकार्यरत पीएसयू के उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट निर्देश/आदेश जारी नहीं किये। किसी दिशा–निर्देश/आदेशों के अभाव में, इन पीएसयू ने अपने संसाधनों का प्रबंधन अपने विवेक से किया। उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गई है।

[4] नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड, छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दि इंडियन टर्पेन्टाइन एंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।

अचल सम्पत्तियों का मौद्रिकरण न किया जाना

2.1.9.1 पीएसयू के लिए सम्पत्ति मौद्रिकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग वाली सम्पत्ति के आर्थिक मूल्यों को अवमुक्त करके राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू के पास **₹** 12.09 करोड़[5] की अचल सम्पत्ति थी **(परिशिष्ट–2.5)**। ये सम्पत्तियाँ इन पीएसयू के संचालन बंद होने के पश्चात् से अप्रयुक्त पड़ी थीं लेकिन पीएसयू, प्रशासनिक विभागों, बीपीई एवं डीपीई के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में इन सम्पत्तियों के मौद्रिकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण, इन सम्पत्तियों का मूल्य उल्लेखनीय रूप से कम हो सकता है।

देनदारों और ऋणों एवं अग्रिमों से वसूली न किया जाना

2.1.9.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू के **₹** 56.31 करोड़[6] की धनराशि के देनदार और ऋण एवं अग्रिम थे **(परिशिष्ट–2.5)**। ये इन पीएसयू की परिसम्पत्तियाँ थीं लेकिन इन पीएसयू के संचालन के बंद होने के बाद से बिना वसूली के पड़ी थीं लेकिन पीएसयू, प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में इन पीएसयू द्वारा इस धनराशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त अवधि व्यतीत हो जाने के कारण इन देय धनराशियों की वसूली की संभावना काफी कम है।

बिना प्रतिफल के भूमि का हस्तांतरण

2.1.9.3 उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की जौनपुर इकाई (जून 2012 से बंद) के सिद्दीकपुर में स्थित 50.04 एकड़ भूमि को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय (26 फरवरी 2014) लिया। इसके लिए, सरकार ने कम्पनी को पहले दिए गए **₹** 34.67 करोड़ (31 मार्च 2013 तक) के ऋण को बट्टे खाते में डालने का और कम्पनी की देनदारियों के परिसमापन के लिए, कम्पनी को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा **₹** 16.18 करोड़ के नकद भुगतान का निर्णय लिया। यह भूमि वर्ष 2014 में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई।

यह देखा गया कि सरकार द्वारा कम्पनी की बकाया धनराशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया एवं मार्च 2021 तक नकद भुगतान भी नहीं किया गया। इस कारण सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कम्पनी की देनदारियों का निपटारा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, सरकारी ऋण उस पर ब्याज संचय के कारण **₹** 34.67 करोड़ से बढ़कर **₹** 46.71 करोड़ हो गया, और अन्य देनदारियाँ भी मार्च 2021 तक **₹** 16.18 करोड़ से बढ़कर **₹** 21.07 करोड़ हो गईं।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि सरकार के साथ कई पत्राचार के बावजूद अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

तथ्य यह है कि वर्ष 2014 में भूमि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा कम्पनी को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

भूमि पर पड़ी चल/अचल सम्पत्तियों का निपटान न करना

2.1.9.4 जैसा कि **प्रस्तर 2.1.9.3** में चर्चा की गई है, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने 2014 में अपनी जमीन सरकारी मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित कर दी थी। हस्तांतरण के समय, कम्पनी की **₹** 7.11 करोड़[7] मूल्य की कुछ चल/अचल

---

[5] इन 29 पीएसयू के अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

[6] पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं एवं सूचना के अनुसार।

[7] मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी 2015 के अनुसार।

सम्पत्तियाँ भूमि पर पड़ी थीं जिनका निपटान कम्पनी द्वारा किया जाना था। कम्पनी वर्ष 2018 तक परिसम्पत्तियों का निपटान करने में विफल रही। जिसके कारण, जिलाधिकारी (डीएम) ने ₹ 3.69 करोड़ के मूल्य पर सम्पत्तियों का निपटान कर दिया एवं कम्पनी को विक्रय धनराशि का भुगतान कर दिया। इस प्रकार, परिसम्पत्तियों के समय पर निपटान करने में कम्पनी की विफलता के कारण इसे ₹ 3.42 करोड़ (₹ 7.11 करोड़ – ₹ 3.69 करोड़) की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि 31 मार्च 2014 को परिसम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य ₹ 2.70 करोड़ था और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 22 और 22ए के अनुसार, बीआईएफआर के निर्देश के बिना बीआईएफआर की कार्यवाही के दौरान कम्पनी की कोई भी सम्पत्ति या उसके भाग को किसी भी तरह से नया रूप नहीं दिया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि का हस्तान्तरण शासनादेश के अनुसार किया गया था तथा सम्पत्ति का निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया गया था।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का दाखिल ख़ारिज कराने में विफलता

2.1.9.5 उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1979 में, 40,838 वर्गमीटर भूमि का क्रय नारायणपुर, मिर्जापुर में किया गया था। हालाँकि, कम्पनी भूमि अभिलेखों में भूमि का दाखिल ख़ारिज स्वयं के नाम पर कराने में विफल रही। वर्ष 1995 में, कम्पनी द्वारा भूमि को विक्रय करने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु भूमि अभिलेखों में कम्पनी का नाम अंकित न होने के कारण भूमि का विक्रय नहीं कर सकी।

इस प्रकार, कम्पनी के उदासीन रवैये के कारण भूमि अभिलिखों में भूमि का स्वामित्व अवैधानिक रूप से विक्रेता के पुत्रों के पास ही बना रहा और कम्पनी भूमि का विक्रय नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने उत्तर मे कहा कि निगम द्वारा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को निगम के नाम पर भूमि का दाखिल ख़ारिज करने हेतु वर्ष 1997 में आवेदन किया जा चुका है जो एक समय लेने वाली प्रकिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि के क्रय के 40 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कम्पनी भूमि का दाखिल ख़ारिज अपने नाम पर नहीं करवा सकी तथा भूमि को विक्रय करने में विफल रही।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का हस्तांतरण

2.1.9.6 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम (यूपीपीयूएन) को निर्देशित (31 अगस्त 2001) किया गया कि वह 40 एकड़ भूमि यू.पी. राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (यूपीएसडब्ल्यूसी) को भण्डारण कार्य हेतु निःशुल्क हस्तांतरित करे। यूपीपीयूएन ने 40.104 एकड़ भूमि यूपीएसडब्ल्यूसी को हस्तांतरित (10 जनवरी 2002) कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में यू.पी. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) द्वारा यूपीएसडब्ल्यूसी से उक्त भूमि क्षेत्र के नियोजित औद्योगिक विकास हेतु ₹ 1.36 करोड़ मूल्य के बदले अधिग्रहीत कर ली गयी। अक्टूबर 2017 में, यूपीपीयूएन द्वारा यूपीएसडब्ल्यूसी को ₹ 4.63 करोड़ (भूमि का मूल्य : ₹ 1.36 + ब्याज : ₹ 3.27 करोड़) का माँग पत्र निर्गत किया गया परन्तु यूपीएसडब्ल्यूसी द्वारा न तो भूमि का मूल्य और न ही ब्याज का भुगतान किया गया। यूपीपीयूएन द्वारा प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया गया जिसमे यह निर्णित (दिसम्बर 2021) हुआ कि यूपीएसडब्ल्यूसी ₹ 1.36 करोड़ की धनराशि का भुगतान यूपीपीयूएन को तुरंत करें एवं ब्याज सम्बन्धी प्रकरण का अनुसरण यूपीपीयूएन द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि, यूपीपीयूएन ने मार्च 2022 में यूपीएसडब्ल्यूसी से भूमि के मूल्य की धनराशि प्राप्त कर ली थी परन्तु ब्याज सम्बन्धी धनराशि अभी भी अप्राप्त है।

अकार्यरत पीएसयू के ससमय समापन सम्बन्धी कार्यवाही करने में विफलता

2.1.10 अकार्यरत पीएसयू के समापन के कार्य को समय पर निष्पादित करने में विफलता के सम्बन्ध में पीएसयू/प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई की भूमिका की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है :

अकार्यरत पीएसयू के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप न देना तथा उनके समापन में परिणामी विलम्ब

2.1.10.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 का अध्याय IX, अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कम्पनी द्वारा वार्षिक लेखों की तैयारी एवं रखरखाव की आवश्यकताओं का बताता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के प्रकरण में दण्डात्मक प्रावधानों को भी प्रावधानित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखों को एक से 39 वर्षों की अवधि सीमा में भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है **(परिशिष्ट–2.6)**। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होना पीएसयू के समापन में देरी का एक प्रमुख कारण था क्योंकि अद्यतन लेखाओं के अभाव में, परिसम्पत्तियों और देनदारियों की वर्तमान स्थिति उनके निपटान के लिए ज्ञात नहीं थी। लेखाओं के बकाया को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू द्वारा वार्षिक लेखों को पूरा करने की प्रगति के अनुश्रवण के लिए बीपीई भी जिम्मेदार था, लेकिन वह भी लेखाओं के बकाया को कम करने में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य के पीएसयू के बकाया लेखाओं के प्रकरण को सीएजी के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[8] में बार–बार इंगित किया जाता रहा है। यद्यपि, बार–बार इंगित किये जाने के बावजूद, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बीपीई पीएसयू के बकाया लेखों के परिसमापन हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड ने आपत्ति को स्वीकार (मार्च 2022) किया और बताया कि वार्षिक लेखाओं के पूर्ण न होने का कारण कम्पनी के कार्यकलापों का बंद होना, नियमित कर्मचारियों का न होना और वित्तीय संकट था। अन्य पीएसयू से उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2022)।

निधि प्राप्त न होने के कारण लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण न हो पाना

2.1.10.2 तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (टीएजेवीएनएल) ने अपने प्रशासनिक विभाग से वर्ष 1983–84 से 1999–2000 की अवधि से सम्बन्धित वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की फीस के भुगतान हेतु **₹** 4.25 लाख की माँग (अप्रैल 2001) की थी। इसने उक्त धनराशि को जारी करने के लिए अप्रैल 2001 और जुलाई 2013 के मध्य 32 पत्र और अनुस्मारक भेजे परन्तु आज तक (जुलाई 2022) प्रशासनिक विभाग द्वारा टीएजेवीएनएल को कोई धनराशि निर्गत नहीं की गई। इसलिए, प्रशासनिक विभाग की अनदेखी के कारण टीएजेवीएनएल की लेखाओं की लेखापरीक्षा मार्च 2021 तक लंबित है।

अचल सम्पत्तियों के समय पर हस्तांतरण में विफलता

2.1.10.3 कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीएपीसीओ) अगस्त 1999 में अकार्यरत हो गयी थी। अपर मुख्य सचिव (एसीएस), भूमि विकास और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि उपज आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक

[8] 2019–20 एवं 2020–21 के वर्षो के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा 2001–02 से 2018–19 के वर्षो के आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, में।

(फरवरी 2002) में सीएपीसीओ की सम्पत्ति का मूल्य ₹ 106.32 लाख निर्धारण किया गया जबकि देनदारियाँ ₹ 117.06 लाख थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीएपीसीओ की अचल सम्पत्तियों को कम्पनी के प्रमुख लेनदार शारदा सहायक कमांड अथॉरिटी (एसएससीए) जिसकी लेनदारी ₹ 60.99 लाख की है, को हस्तांतरित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सीएपीसीओ और एसएससीए के बीच अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण तथा एसएससीए और अन्य के प्रति सीएपीसीओ की देनदारियों के निपटान के लिए एक अनुबंध भी निष्पादित (मई 2002) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध को निष्पादित करने के 19 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी सीएपीसीओ अनुबंध को लागू करवाने में विफल रहा। सितम्बर 2021 में, एसएससीए ने कम्पनी की परिसमापन प्रक्रिया में तेजी लाने और कम्पनी की सम्पत्ति तथा देनदारियों को एसएससीए को हस्तांतरित करने के लिए शासनादेश जारी करने के लिए प्रशासनिक विभाग से अनुरोध किया। यह कम्पनी और सरकार के स्तर पर समय पर की जाने वाली कार्यवाही की कमी को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की परिसमापन प्रक्रिया में देरी हुई।

अनुश्रवण तंत्र में कमियाँ

2.1.11 पीएसयू के प्रशासनिक विभागों, डीपीई और बीपीई के स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली की विफलता/अविद्यमानता की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तर में की गई हैः

प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण पीएसयू के परिसमापन में अत्यधिक विलम्ब

2.1.11.1 कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के खंड 9.4 और 9.5 में प्रावधान है कि परिसमापन प्रक्रिया को दो वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और पुनर्वास एवं परिसमापन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी चरण में प्रदान किया जाने वाला विस्तार यदा–कदा होना चाहिए तथा केवल विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाना चाहिए जो किसी भी दशा में प्रदान की गयी निर्धारित समय सीमा को प्रभावित न करे। परिसमापन प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 13 पीएसयू बहुत लंबी अवधि से अर्थात् सात से 39 वर्षों के मध्य **(परिशिष्ट–2.2)** परिसमापनाधीन थे। प्रशासनिक विभाग/डीपीई इन पीएसयू की परिसमापन प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए किये गए प्रयासों से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में विफल रहे। इसके अलावा, तीन पीएसयू, यथा उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भदोही वूलन्स लिमिटेड एवं ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड जिनमें अदालती प्रकरणों और मुकदमों को कारण बताया गया था, को छोड़कर अन्य सभी पीएसयू के परिसमापन की वर्तमान स्थिति और इतने लंबे विलंब के लिए जिम्मेदार कारणों को प्रस्तुत करने में भी ये विफल रहे।

इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण, पीएसयू के परिसमापन की प्रक्रिया सात से 39 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं की जा सकी।

कम्पनियों के समापन के लिए प्रभावी अनुश्रवण तंत्र की कमी

2.1.11.2 पीएसयू के कुशल कामकाज के पर्यवेक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग पर है और रूग्ण/अकार्यरत पीएसयू के समापन के लिए अंतिम मत डीपीई/बीपीई के परामर्श से प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया जाना है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि यह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह रूग्ण/अकार्यरत पीएसयू के समापन, के लिए कार्यवाही करे, इन विभागों ने

कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसके कारण इन 29 पीएसयू का मार्च 2021 तक समापन नहीं किया जा सका। प्रशासनिक विभागों की विफलता के कुछ उदाहरणों की चर्चा नीचे **तालिका 2.2** में की गई है।

तालिका 2.2: प्रशासनिक विभागों के अनुश्रवण की कमी को दर्शाने वाले मामले

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	कम्पनी की गतिविधि बंद होने की तिथि	गतिविधि बंद होने के बाद से वर्षों की संख्या (लगभग)	प्रशासनिक विभाग की विफलता
1	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	28.06.2012	8	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था। कम्पनी समापन के लिए राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास नहीं गई, हालाँकि, सरकार द्वारा 26.09.2017 को अनुमति दी गई थी। यह, प्रशासनिक विभाग अर्थात् हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह प्रभावी कदम उठाकर प्रक्रिया में तेजी लाए। लेकिन, उसने न तो आज तक प्रकरण की कोई स्थिति मांगी और न ही सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकरण को एनसीएलटी को संदर्भित नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण माँगा।
2	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल निगम लिमिटेड	14.03.2001	20	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल निगम लिमिटेड (कम्पनी) को बीआईएफआर द्वारा 02.02.1995 को रूग्ण घोषित किया गया और 13.07.2005 को बंद करने का आदेश दिया गया। इस आदेश पर औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई। सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2017 के पत्र द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद कम्पनी ने एनसीएलटी में प्रकरण दर्ज नहीं किया। यह, प्रशासनिक विभाग अर्थात् हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह प्रभावी कदम उठाकर प्रक्रिया में तेजी लाए। लेकिन, उसने न तो आज तक प्रकरण की कोई स्थिति मांगी और न ही सम्बन्धित अधिकारियों से प्रकरण को एनसीएलटी को संदर्भित नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण माँगा।

इस प्रकार, प्रशासनिक विभागों और प्रबंधन ने कम्पनी अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार समापन के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की जिसके कारण इन अकार्यरत पीएसयू की स्थिति उनके अकार्यरत होने से एक से 31 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसी अवस्था में बनी रही।

पीएसयू के अनुश्रवण में सार्वजनिक उद्यम विभाग की विफलता

2.1.11.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गतिविधियों को बंद करने में सहायता प्रदान करने और पीएसयू के प्रबंधन के लिए नीति दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

हालाँकि, न तो डीपीई पीएसयू के लिए किये गए कार्यों से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रदान कर सका और न ही पीएसयू किसी भी सहायता के लिए डीपीई से संपर्क करने के ऐसे अभिलेख उपलब्ध करा सके।

पीएसयू के अनुश्रवण में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की विफलता

2.1.11.4 सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) एक निदेशालय के रूप में कार्य करता है और पीएसयू के आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा के साथ–साथ डीपीई के निर्धारित कार्यों में सहायता प्रदान करता है, प्रशासनिक विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श प्रदान करने, लेखो के बकायों को कम करने के उद्देश्य से पीएसयू के वार्षिक लेखों के पूरा होने की प्रगति के अनुश्रवण आदि के कार्य में सहायता प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीपीई पीएसयू के वार्षिक लेखों को समय पर पूरा करने हेतु अनुश्रवण करने में विफल रहा क्योंकि मार्च 2021 तक 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखे एक से 39 वर्ष **(परिशिष्ट–2.6)** की अवधि से लंबित थे। इसके अलावा, बीपीई द्वारा प्रदान किये गए किसी भी तकनीकी मार्गदर्शन और पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की प्रगति के अनुश्रवण का विवरण अभिलेख में नहीं पाया गया।

अकार्यरत पीएसयू के समापन में देरी के कारण वित्तीय भार

2.1.12 लेखापरीक्षा में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

सुरक्षा, कर्मचारियों एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय

2.1.12.1 अकार्यरत पीएसयू को कर्मचारियों के भुगतान, सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय करना पड़ता है। इस तरह के व्ययों को पूरा करने के लिए ये पीएसयू अंतरिम ऋण लेते हैं या निधि का प्रबंध स्वयं के स्रोतों से करते है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 29 पीएसयू अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों पर व्यय का प्रबंधन या तो अपने स्वयं के स्रोतों/अपनी मूल कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से या उत्तर प्रदेश सरकार से लिए गए ब्याज सहित अंतरिम ऋण से कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन पीएसयू के समापन में विलम्ब के कारण मार्च 2021 तक इन पीएसयू द्वारा कर्मचारियों, सुरक्षा एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों पर ₹ 131.28 करोड़ **(परिशिष्ट–2.5)** का परिहार्य व्यय किया गया।

विद्युत बिल का परिहार्य भुगतान

2.1.12.2 दि इंडियन टरपेन्टाइन एवं रोजिन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को अक्टूबर 2020 में बंद कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्पत्ति विक्रय समिति की सलाह (जनवरी 2004) के आधार पर, कम्पनी द्वारा सरकार को ₹ 1.72 करोड़ मूल्य के 92 आवासीय क्वाटरों को कर्मचारियों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव[9] दिया गया, हालाँकि, राज्य सरकार से प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुयी। कम्पनी ने भी दिसम्बर 2020 तक जब इसने प्रकरण को सुलझाने के लिए सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया, प्रकरण को कार्यवाही हेतु आगे नहीं बढ़ाया। 31 मार्च 2021 को, कर्मचारियों की वीआरएस की धनराशि ₹ 6.05 लाख एवं बोनस की धनराशि ₹ 9.57 लाख भुगतान हेतु अभी भी देय थी।

अग्रेतर, कम्पनी और प्रशासनिक विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के कब्जे वाले आवासीय क्वाटरों के विद्युत प्रभार पर ₹ 15.72 करोड़[10] का परिहार्य व्यय हुआ।

निष्कर्ष

प्रशासनिक विभागों और डीपीई ने अकार्यरत पीएसयू के समय पर समापन या निजीकरण के लिए उचित कार्यवाही नहीं की। पीएसयू की परिसमापन प्रक्रिया सात से 39 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं की जा सकी। डीपीई और बीपीई निगरानी में विफल रहे। अकार्यरत पीएसयू ने किसी नीति, दिशा–निर्देशों और अनुश्रवण तंत्र के अभाव में अपने संसाधनों का कुप्रबंधन किया। पीएसयू के समापन में देरी के कारण अकार्यरत पीएसयू को कर्मचारियों की लागत, सुरक्षा व्यय, विद्युत प्रभार एवं अन्य दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों के व्ययों पर ₹ 131.28 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

[9] पत्र संख्याः एमडी/टी/2004–05/254 दिनांक 10.01.2005 द्वारा।

[10] विद्युत प्रभार के बकाये के विरूद्ध किया गया भुगतानः ₹ 12.12 करोड़ + विद्युत प्रभार के प्रति सृजित देयताएं: ₹ 3.95 करोड़ – पिछली अवधि की बकाया राशिः ₹ 0.35 करोड़।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि प्रशासनिक विभागों/डीपीई/बीपीई को चाहिए किः

1. **लंबे समय से अकार्यरत स्थिति में बनी रहने वाली पीएसयू को बंद करने और उनकी सम्पत्ति के मौद्रिकरण के लिए ठोस प्रयास करें।**
2. **परिसमापनाधीन पीएसयू की समापन प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।**
3. **अकार्यरत पीएसयू के लेखों के बकायों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।**
4. **डीपीई को अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों के प्रबंधन के लिए नीति/दिशानिर्देश बनाना तथा जारी करना चाहिये।**

ऊर्जा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2.2 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) मुख्यालय लखनऊ को, 25 अगस्त 1980 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी के रूप में, राज्य में नई ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ, निगमित किया गया था। यूपीआरवीयूएनएल के नौ[11] ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5,380 मेगावाट है। राज्य की कुल ऊर्जा आवश्यकता में से यूपीआरवीयूएनएल के ताप विद्युत संयंत्रों ने 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान क्रमशः 25.26 प्रतिशत, 21.43 प्रतिशत और 19.39 प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा[12] किया।

टीपीपी के दीर्घकालिक स्थिर स्तरों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक रखरखाव और उपकरण ओवरहालिंग समय सारणी का पालन करना महत्वपूर्ण है। समय सारणी का पालन न करने से उपकरण के अधिक कोयले, ईंधन तेल की खपत करने और बाध्यकारी आउटेज के एक उच्चतर जोखिम की आशंका होती है। इन कारकों से विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है और उपकरणों की उपलब्धता कम हो जाती है जिससे कुल विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

2.2.2 टीपीपी की मरम्मत और अनुरक्षण (आर एण्ड एम) समयबद्ध गतिविधियाँ हैं जो सामान्यतः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं और टीपीपी द्वारा विद्युत के अनुकूलतम उत्पादन के लिए इसे यथा–समय पूरा करना आवश्यक है। यूपीआरवीयूएनएल में, आर एण्ड एम पर 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के दौरान कुल व्यय क्रमशः ₹ 502.95 करोड़, ₹ 549.29 करोड़ एवं ₹ 472.64 करोड़ था।

संगठनात्मक संरचना

2.2.3 ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और चार निदेशक शामिल हैं। दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों को मुख्यालय और फील्ड के मुख्य

[11] 2018–19 से 2020–21 के दौरान।

[12] 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय की गयी क्रमशः 1,15,435.51 मिलियन यूनिट (एमयू), 1,18,140.93 एमयू एवं 1,20,589.94 एमयू ऊर्जा के विरूद्ध क्रमशः 29,154 एमयू, 25,318 एमयू एवं 23,388 एमयू।

अभियंताओं/मुख्य महाप्रबंधकों और अधिशाषी अभियंताओं की सहायता से पूरा किया जाता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.4 लेखापरीखा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी, किः

- क्या आर एण्ड एम की योजना, जैसा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के नियमावली में निर्धारित है, के तहत बनाई गई थी;
- क्या आर एण्ड एम के लिए सामग्री की आपूर्ति के अनुबंध/संविदा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गए थे;
- क्या आर एण्ड एम का कार्य यथा–समय और मितव्ययी रूप से योजनानुसार निष्पादित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा निर्धारित मानदण्ड हासिल किये गए हैं; एवं
- क्या आर एण्ड एम से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रभावी अनुश्रवण तंत्र है।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का आँकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गए थेः

- ओईएम नियमावली, वार्षिक योजना, बजट, आर एण्ड एम के लिए परिचालन मापदण्ड, ठेकेदारों के साथ अनुबंध और ओवरहालिंग के बाद की आउटेज रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका, प्राक्कलनों का औचित्य एवं कार्यों का दर विश्लेषण।
- यूपीईआरसी के मानदण्ड, मशीन के बंद होने का आँकलन, विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया तंत्र और मानक संचालन प्रक्रिया/उपकरण की संचालन नियमावली।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

2.2.6 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक लेखापरीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा ने लखनऊ में यूपीआरवीयूएनएल मुख्यालय और इसके नौ ताप विद्युत संयंत्रों में से चयनित सात[13] टीपीपी के आर एण्ड एम से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की। इन सात टीपीपी में आर एण्ड एम पर किया गया व्यय 2018–19 से 2020–21 के दौरान यूपीआरवीयूएनएल द्वारा आर एण्ड एम पर किये गए कुल व्यय का 77.13 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, टीपीपी ने 7,215 निविदाओं को अंतिम रूप दिया, जिसके विरूद्ध लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से मौद्रिक मूल्य के आधार पर 478 निविदाओं का चयन किया।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में 31 अगस्त 2021 को आयोजित एक एन्ट्री कान्फ्रेंस में शीर्ष प्रबंधन को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या करना, अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षित कर्मियों के साथ परस्पर विचार विमर्श, लेखापरीक्षा मानदण्डों के संदर्भ में डाटा का विश्लेषण और प्रबंधन के साथ विचार विमर्श के पश्चात् लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना शामिल था।

प्रबंधन और राज्य सरकार को जून 2022 में लेखापरीक्षा परिणामों को प्रेषित किया गया था। कम्पनी के उत्तरों और प्रबंधन द्वारा 8 जुलाई 2022 को आयोजित एक्ज़िट कान्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों/विचारों को सम्बन्धित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से

[13] 'बी' ओबरा टीपीपी (2 x 500 मेगावाट), 'ए' पारीछा टीपीपी (2 x 110 मेगावाट), 'बी' पारीछा टीपीपी (2 x 210 मेगावाट), 'सी' हरदुआगंज टीपीपी (1 x 110 मेगावाट), हरदुआगंज एक्सटेंशन टीपीपी (2 x 250 मेगावाट), 'ए' अनपरा टीपीपी (3 x 210 मेगावाट) और 'बी' अनपरा टीपीपी (2 x 500 मेगावाट)।

सम्मिलित किया गया है। हालाँकि, सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.7 यूपीआरवीयूएनएल मुख्यालय और इसके चयनित सात टीपीपी में अभिलेखों की जाँच से प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगे की गई है।

ओवरहालिंग की योजना

2.2.8 ऊर्जा उत्पादन के लिए टीपीपी की उत्पादन इकाइयों की ओवरहालिंग इन इकाइयों में स्थापित विभिन्न उपकरणों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूपीआरवीयूएनएल ने ओवरहालिंग को तीन श्रेणियों यथा, कैपिटल ओवरहालिंग (सीओएच), वार्षिक ओवरहालिंग (एओएच) एवं मिनी ओवरहालिंग (एमओएच) में वर्गीकृत किया था। उपकरण का सीओएच इकाई के चलने से हर छः वर्षों में ओईएम द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें जनरेटर और बॉयलर की ओवरहालिंग के साथ टर्बाइन के उच्च दबाव (एचपी), मध्यवर्ती दबाव (आईपी) और निम्न दबाव (एलपी) की ओवरहालिंग शामिल की जाती है। यूपीआरवीयूएनएल द्वारा आवश्यकतानुसार उपकरणों[14] की एओएच एवं एमओएच की योजना वार्षिक रूप से बनाई जाती है। ओवरहालिंग की योजना के लिए, यूपीआरवीयूएनएल रोलिंग प्लान तैयार करता है और रोलिंग प्लान में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार ओवरहाल निष्पादित करता है।

यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक मण्डल ने अगस्त 2017 में वर्ष 2018–19 से 2021–22 हेतु संयंत्रों के ओवरहालिंग के लिए रोलिंग प्लान की स्वीकृति दी। तैयार किये गए रोलिंग प्लान (23 अगस्त 2017) में वर्ष 2018–19 से 2020–21 के लिए, आठ टीपीपी[15] की 18 उत्पादन इकाइयों[16] के 52 ओवरहाल (सीओएचः 8, एओएचः 17 एवं एमओएचः 27) के ₹ 1,046 करोड़ के बजटीय व्यय के साथ सीओएच के लिए 45 दिनों की अवधि, एओएच के लिए 30 दिनों और एमओएच के लिए 18 दिनों की अवधि की योजना बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीओएच के लिए निर्धारित ओईएम समय–सारणी के अनुसार रोलिंग प्लान तैयार नहीं किया गया था। टीपीपी के सीओएच की योजना में अत्याधिक विचलन/विलंब देखे गए थे जैसा कि नीचे **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3: टीपीपी के सीओएच की योजना में विचलन/विलंब

टीपीपी का नाम	इकाई संख्या	क्षमता (मेगावाट)	की गयी अंतिम कैपिटल ओवरहालिंग	ओईएम समय–सारणी के अनुसार ओवरहालिंग का नियत समय	रोलिंग प्लान के अनुसार प्रस्तावित ओवरहालिंग	रोलिंग प्लान में विलंबित योजना (वर्षों में)
अनपरा 'ए'	1	210	अप्रैल-2008	अप्रैल -2014	2018-19	4
	2	210	नवम्बर-2012	नवम्बर -2018	2021-22	3
	3	210	मार्च-2008	मार्च-2014	2019-20	5
अनपरा 'बी'	4	500	दिसम्बर-2009	दिसम्बर -2015	2019-20	4
	5	500	मई-2008	मई-2014	2018-19	4
हरदुआगंज 'विस्तार'	8	250	फरवरी-2012 में सीओडी[17]	फरवरी -2018	2019-20	2
पारीछा 'बी'	4	210	मार्च-2012	मार्च-2018	2020-21	3

स्रोतः यूपीआरवीयूएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

[14] निम्न दाब (एलपी) स्टेज टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलर, कन्वेयर बेल्ट, फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली, कोल मिल रिजेक्ट हैंडलिंग सिस्टम, राख पाइपलाइन संरचना, आदि।

[15] रोलिंग प्लान में सीओएच/एओएच/एमओएच के लिए एक टीपीपी (पारीछाः 2 x 110 मेगावाट) की योजना नहीं बनायी गयी थी।

[16] 2018–19: 17 ओवरहाल, 2019–20: 17 ओवरहाल और 2020–21: 18 ओवरहाल।

[17] वाणिज्यिक संचालन तिथि।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ओईएम द्वारा निर्धारित समय–सारणी की तुलना में दो से पाँच वर्षों का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ था। इसके कारण, उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन ह्रासित हो गया, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों से देखा जा सकता है।

एक्ज़िट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने ओवरहालिंग में विलंब को स्वीकार किया और कहा कि ओवरहालिंग एवं अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार करना प्रगति पर है।

अनुबंध/संविदा के निष्पादन में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने अनुबंध/संविदा के निष्पादन में कमियाँ देखीं जो कि नीचे वर्णित हैः

ठेकेदार को अनुचित लाभ

2.2.9 निविदा[18] के वाणिज्यिक नियम और शर्तों के अनुच्छेद 2 के अनुसार तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 180 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए बिड स्वीकृति हेतु वैध रहेगी।

पारीछा टीपीपी ने 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए ₹ 34.57 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के मूल्य पर मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स को कार्य प्रदान (25 जून 2018) किया।

उपरोक्त कार्य को जारी रखने के लिए नई निविदा 30 मई 2020 को आमंत्रित की गई थी, जिसमें बिड जमा करने की निर्दिष्ट तिथि 16 जुलाई 2020 थी जिसे कोविड लॉकडाउन के कारण 7 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था। चार फर्मों ने बिड में भाग लिया जिनमें से दो फर्में 13 अगस्त 2020 को बिड दस्तावेज के भाग–I को खोलने के बाद योग्य पायी गयी। दो फर्मों को कार्य अनुभव प्रस्तुत न करने, पूर्व वर्षों में जीएसटी के भुगतान में चूक आदि के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। अयोग्य घोषित एक फर्म मैसर्स एनर्गो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व वर्षों में जीएसटी के भुगतान में चूक के प्रकरण की समीक्षा की गई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी और यह निर्णय लिया गया (23 नवम्बर 2020) कि उक्त प्रकरण पर बिड भाग–II को खोलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद, इन तीनों के बिड के भाग–II को 16 दिसम्बर 2020 को खोला गया और मैसर्स एनर्गो को एल–1 निविदादाता घोषित किया गया। मैसर्स एनर्गो को 28 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2023 तक दो वर्ष की अवधि के लिए, ₹ 25.87 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के मूल्य पर कार्य प्रदान (22 फरवरी 2021) किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि उपरोक्त निविदा के बिड के भाग–II की वैधता अवधि 8 फरवरी 2021 (बिड के भाग–I खुलने अर्थात् 13 अगस्त 2020 से 180 दिन) तक थी, लेकिन कम्पनी ने 15 जनवरी 2021 को समझौता वार्ता को अंतिम रूप देने और कॉर्पोरेट निविदा समिति द्वारा उस पर 16 फरवरी 2021 को स्वीकृति के पश्चात् निविदा को एल–1 निविदादाता को 22 फरवरी 2021 को प्रदान किया।

इस प्रकार, प्रबंधन ने 14 दिनों के विलम्ब से कार्य प्रदान किया। नए ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने तक कार्य पुराने ठेकेदार[19] अर्थात् मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स द्वारा ₹ 1.44 करोड़ प्रति माह की लागत से निष्पादित किया जाता रहा जो कि नए अनुबंध ₹ 1.08 करोड़ प्रति माह की दर से काफी अधिक था। इस प्रकार, कार्य को विलम्ब से

[18] 2 x 210 मेगावाट के सम्पूर्ण कोल हैंडलिंग प्लांट का चौबीसो घंटे पूरा संचालन और अनुरक्षण कार्य, 2 x 210 मेगावाट के कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) का निर्बाध कोयला फीडिंग + 2 x 250 मेगावाट (इकाई संख्या 3, 4, 5 और 6), 2 x 110 मेगावाट सीएचपी का अनलोडिंग कार्य जिसमें मैनुअल अनलोडिंग और प्रबंधन, संचालन और शंटिंग कार्य आदि और 2 x 210 मेगावाट कोल अनलोडिंग प्लांट का चौबीसो घंटे सम्पूर्ण यांत्रिक और विद्युतीय रखरखाव कार्य शामिल है।

[19] अनुबंध की समाप्ति तिथि 30 जून 2020 थी जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया था।

प्रदान किये जाने के कारण, यूपीआरवीयूएनएल ने मैसर्स ए के ए लॉजिस्टिक्स को ₹ 0.17 करोड़ धनराशि का अनुचित लाभ दिया जो कि बचाया जा सकता था।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, प्रबंधन ने कार्य को प्रदान करने में देरी को स्वीकार किया और कहा कि नए कार्य को प्रदान करने में लागत की बचत है। अग्रेतर, समिति द्वारा अनुबंध को विभिन्न स्तरों पर अंतिम रूप देने के लिए समय–सीमा तय करने के लिए एसओपी तैयार की जाएगी।

ओवरहालिंग का क्रियान्वयन

2.2.10 टीपीपी के मुख्य उपकरण जैसे टर्बाइन, बॉयलर और जनरेटर ओईएम (बीएचईएल, तोशिबा, आदि) द्वारा स्थापित किये गए थे और इन ओईएम द्वारा छः वर्ष में एक बार इनकी ओवरहालिंग की जानी थी। टीपीपी के अन्य उपकरणों को वार्षिक आधार पर या आवश्यकता के आधार पर निविदा के माध्यम से ओवरहाल किया जा रहा था। निर्धारित समय सारणी के अनुसार, सीओएच, एओएच और एमओएच को क्रमशः 45 दिन, 30 दिन एवं 18 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। निर्धारित समय के भीतर ओवरहाल का पूरा होना महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च ओवरहालिंग चक्र या निर्धारित ओवरहालिंग समय में देरी से संयंत्र की उपलब्धता कम हो जाती है और उत्पादन की हानि होती है। रणनीतिक और अग्रिम योजना, संसाधनों का समय पर जुटाना, सावधानीपूर्वक अनुश्रवण एवं चौबीसों घंटे समर्पित प्रयास ओवरहाल समय को कम करता है।

जैसा कि **प्रस्तर 2.2.8** में चर्चा की गई है, यूपीआरवीयूएनएल ने रोलिंग प्लान में आठ टीपीपी की 18 उत्पादन इकाइयों के 52 ओवरहाल की योजना बनाई। हालाँकि, 2018–19 से 2020–21 के दौरान ओवरहाल के क्रियान्वयन के समय, ओवरहालिंग पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के प्रतिबंधों के कारण नियोजित ओवरहाल को घटाकर मात्र 33 कर दिया।

लेखापरीक्षा ने कम लक्ष्यों के बाद भी ओवरहाल के क्रियान्वयन में कमी को देखा (जनवरी 2022) जैसा कि नीचे **तालिका 2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.4: ओवरहाल के क्रियान्वयन में कमी

वर्ष	नियोजित इकाइयों की संख्या		ओवरहाल की गई इकाइयों की संख्या		कमी	
	सीओएच	एओएच/ एमओएच	सीओएच	एओएच/ एमओएच	सीओएच	एओएच/ एमओएच
2018-19	5	12	1	2	4	7[20]
2019-20	3	5	1	3	2	2
2020-21	6	2	2	1	4	1
योग	**14**	**19**	**4**	**6**	**10**	**10**

स्रोतः यूपीआरवीयूएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सीओएच में 10 ओवरहाल (71 प्रतिशत) और एओएच/एमओएच में 10 ओवरहाल (53 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी थी जो यूपीआरवीयूएनएल द्वारा ओवरहाल के तुच्छ क्रियान्वयन को दर्शाता है।

अग्रेतर, चयनित सात टीपीपी की 17 उत्पादन इकाइयों में 2018–19 से 2020–21 तक 23 ओवरहाल जिनमें से 13 सीओएच ओवरहाल और 10 एओएच/एमओएच ओवरहाल के लिए योजना बनाई गई थी। इसके सापेक्ष, सीओएच में 10 ओवरहाल (77 प्रतिशत)

[20] 2018–19 के दौरान एमओएच के लिए ओबरा टीपीपी की तीन इकाइयों (इकाई संख्या 9, इकाई संख्या 10 और इकाई संख्या 11) की योजना बनाई गई थी। हालाँकि, 14 अक्टूबर 2018 को ओबरा टीपीपी में आग लगने के कारण इन इकाइयों को 2018–19 में ओवरहालिंग के लिए नहीं लिया गया था। इसलिए, इन यूनिटों को ओवरहालिंग में कमी में सम्मिलित नही किया गया है।

और एओएच/एमओएच में छः ओवरहाल (60 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई थी।

ओवरहालिंग की समय–सारणी का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई तथा कई अतिरिक्त कार्यों यथा सभी एचआईपी टर्बाइन डायफ्राम को बदलना, पावर सिलेंडरों की मरम्मत, जाम हो गए बोल्ट को हटाना, जनरेटर रोटर एपॉक्सी इंजेक्शन का कार्य आदि का क्रियान्वयन करना पड़ा।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रस्तर को स्वीकार किया और कहा कि रोलिंग प्लान/ओईएम अनुसूची के अनुसार ओवरहालिंग के प्रयास किये जाएगें।

ओवरहालिंग समय–सारणी का पालन न करने के कारण परिहार्य हानि

लेखापरीक्षा ने ओवरहालिंग समय–सारणी का पालन न करने के कारण परिहार्य हानि के दृष्टान्तों को देखा जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः

विलंबित सीओएच के कारण कम पीएलएफ के परिणामस्वरूप उत्पादन हानि

2.2.11 सभी उत्पादन स्टेशनों के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के मापदण्ड उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 और 2019 के अनुसार तय किये जाते हैं। पीएलएफ वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता पर अधिकतम संभव उत्पादन के बीच के अनुपात को संदर्भित करता है। यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, राज्य ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ वर्ष 2018–19 से 2020–21 के लिए 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक था।

जैसा कि **प्रस्तर 2.2.10** में चर्चा की गई है, ओवरहालिंग में देरी से संयंत्र की उपलब्धता कम हो जाती है और उत्पादन की हानि होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार टीपीपी[21], जिनमें निर्धारित ओईएम अनुसूची के अनुसार समय पर कैपिटल ओवरहालिंग नहीं की गई थी, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम पीएलएफ पर चल रहे थें जिससे 277.97 एमयू[22] ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई। इस कारण, यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को 2018–19 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल को निजी विद्युत उत्पादकों से उपरोक्त सीमा तक ऊर्जा क्रय करनी पड़ी, जिसके कारण यूपीपीसीएल द्वारा ₹ 39.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

समय पर परीक्षण न करने के कारण यूपीआरवीयूएनएल को हानि

2.2.12 हरदुआगंज की इकाई संख्या 7 की वार्षिक ओवरहालिंग की योजना 1 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 के दौरान बनाई गई थी लेकिन प्रबंधन द्वारा इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इकाई 13 नवम्बर 2018 से 8 मई 2019 के दौरान एसएलडीसी के निर्देश पर बंद रही। इकाई को पुनः 9 मई 2019 को लोड पर लिया गया। इसी बीच, शटडाउन की अवधि के दौरान 1 जनवरी 2019 से 18 जनवरी 2019 तक एक मिनी ओवरहालिंग का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे भी

[21] ओबरा–बी टीपीपी (2020–21) की इकाई संख्या 11– 75 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलफ 63.85 प्रतिशत था; पारीछा–ए टीपीपी (2018–19) की इकाई संख्या 2– 70 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलफ 65.94 प्रतिशत था; अनपरा–ए टीपीपी की इकाई संख्या 1 (2019–20)– 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलफ 83.92 प्रतिशत था; अनपरा–बी टीपीपी (2018–19) की इकाई संख्या 5– 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलफ 84.01 प्रतिशत था और अनपरा–बी टीपीपी (2020–21) की इकाई संख्या 4– 85 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष वास्तविक पीएलफ 84.70 प्रतिशत था।

[22] ओबरा–बी, पारीछा–ए, अनपरा–ए ओर अनपरा–बी टीपीपी में क्रमशः 177.09 एमयू, 34.96 एमयू, 14.08 एमयू और 51.84 एमयू।

यूपीआरवीयूएनएल द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया। लोड पर लेने के बाद, जनरेटर ट्रांसफार्मर (जीटी) में आग लग गई और इकाई 15 मई 2019 को ट्रिप हो गई। जीटी के प्रतिस्थापन के पश्चात् 27 जुलाई 2019 को इकाई सिंक्रोनाइज हुई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने की घटना का मुख्य कारण जीआरपी रिले, एक्साइटेशन सिस्टम जनरेटर और जीटी जैसे उपकरणों के समय पर परीक्षण में विफलता थी, जिनका पिछले चार वर्षों[23] से परीक्षण नहीं किया गया था। बुशिंग का टैन डेल्टा परीक्षण 20 फरवरी 2018 को किया गया था, जिनमें आर एंड वाई फेज बुशिंग टेन डेल्टा मान काफी अधिक पाए गए और खतरनाक सीमा को पार कर गए थे।

यूपीआरवीयूएनएल ने ₹ 6.30 करोड़ मूल्य के जले हुए ट्रांसफार्मर के मूल्य को अपलिखित करने के अलावा जनरेटर ट्रांसफार्मर[24] के प्रतिस्थापन एवं परिवहन पर ₹ 1.52 करोड़ का व्यय किया। अग्रेतर, यूपीआरवीयूएनएल ने, आरोप पत्र के अंतिमीकरण के आधार पर, पाँच अधिकारियों/कर्मचारियों को मामूली शास्ति (चेतावनी, निंदात्मक प्रविष्टि) दी। यदि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार इकाई चलाने से पूर्व समय पर परीक्षण किया गया होता तो इस व्यय से बचा जा सकता था।

एक्ज़िट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने प्रस्तर को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में जीटी का परीक्षण नियमित आधार पर किया जा रहा है।

अनुश्रवण तंत्र में देखी गई कमियाँ

लेखापरीक्षा ने टीपीपी में क्रियान्वित किये जा रहे आर एण्ड एम कार्यों पर अनुश्रवण तंत्र में कमियों को देखा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

अनुपयुक्त बियरिंग क्रय नीति

2.2.13 यूपीआरवीयूएनएल ने इंड्यूरड ड्राफ्ट फैन (आईडी फैन), फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन (एफडी फैन), प्राइमरी एयर फैन (पीए फैन) आदि में उपयोग के लिए एसकेएफ/एफएजी/टिमकेन/एनटीएन मेक बियरिंग की सभी टीपीपी द्वारा क्रय के लिए एक नई बियरिंग क्रय नीति (19 सितम्बर 2018) तैयार की थी। नीति में कहा गया था कि, पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष प्रकरण के रूप में, निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदन के पश्चात् ओबरा टीपीपी और 3 x 210 मेगावाट की अनपरा टीपीपी की इकाई में उपयोग के लिए एनटीएन मेक की बियरिंग क्रय की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि अनपरा टीपीपी की इकाई संख्या 1 आईडी फैन 1 बी में समस्या के कारण 29 मार्च 2019 को ट्रिप हो गई एवं त्रुटियों की मरम्मत के दौरान, निदेशक (तकनीकी) की स्वीकृति के बिना इसमें एनटीएन मेक बियरिंग स्थापित की गई थी। आईडी फैन में प्रयुक्त एनटीएन मेक बियरिंग की खराब गुणवत्ता के कारण इकाई पुनः 16 सितम्बर 2019 को फिर से ट्रिप हो गई और इसे 18 सितम्बर 2019 को सिंक्रोनाइज़ किया गया। जो यह इंगित करता है कि यूपीआरवीयूएनएल इसे क्रय करने से पहले एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इकाई संख्या 1 का उत्पादन 16 सितम्बर 2019 से 17 सितम्बर 2019 के दौरान दो दिनों के लिए बंद रहा, जो परिहार्य था।

अग्रेतर, टीपीपी के ट्रिपिंग विवरण के विश्लेषण से यह देखा गया कि अनपरा टीपीपी की इकाई संख्या 3 एनटीएन मेक बियरिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण

[23] परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, जीआरपी रिले, एक्साइटेशन सिस्टम जेनरेटर और जीटी आदि का वार्षिक आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए था।

[24] परिवर्तित जीटी (125 एमवीए) पनकी टीपीपी में बिना काम के रखा हुआ था जिसे जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर ले जाया और स्थापित किया गया था।

7 सितम्बर 2019 एवं 9 फरवरी 2020 को दो बार ट्रिप हुई। जो यह इंगित करता है कि बियरिंग की गुणवत्ता खराब थी।

अग्रेतर, ताप विद्युत संयंत्र की ट्रिपिंग कमेटी ने भी संस्तुति (फरवरी 2020) की, कि एनटीएन मेक बियरिंग को क्रिटिकल आग्जलिरिज जैसे कि आईडी फैन के लिए क्रय न किया जाए और पुनः बियरिंग नीति की समीक्षा के लिए संस्तुति की। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एनटीएन मेक बियरिंग क्रय करने का निर्णय उचित नहीं था।

प्रबंधन ने कहा कि आईडी फैन में एनटीएन मेक बियरिंग की विफलता एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता और प्रदर्शन के अलावा विभिन्न तकनीकी कारणों से हो सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रिपिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि एनटीएन मेक बियरिंग की गुणवत्ता खराब थी।

कार्य के खराब अनुश्रवण के कारण उत्पादन की हानि

2.2.14 हरदुआगंज टीपीपी की इकाई संख्या 7 के क्षतिग्रस्त 150 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग और पनकी टीपीपी पर उपलब्ध 125 एमवीए जनरेटर ट्रांसफार्मर की प्रतिस्थापना के कार्य के लिए 10 जून 2019 को मैसर्स सन इंजीनियरिंग वर्क्स को ₹ 34.55 लाख के कार्य की लागत का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। कार्य को पूरा करने की अवधि एलओआई जारी होने से 35 दिन अर्थात् 15 जुलाई 2019 तक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य 11 दिन की देरी से 26 जुलाई 2019 को पूरा किया गया और इकाई को 27 जुलाई 2019 को सिंक्रोनाइज़ किया गया। प्रबंधन ने देखा कि विलम्ब, ठेकेदार द्वारा जनशक्ति की कम तैनाती के कारण हुआ। प्रबंधन ने विलम्ब के लिए ठेकेदार पर ₹ 55,000 का जुर्माना लगाया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि प्रबंधन ने न तो काम को समय पर पूरा करने के लिए ठेकेदार के साथ कोई पत्राचार किया और न ही मानव शक्ति की कम तैनाती के तथ्य की जानकारी के बावजूद ठेकेदार को कोई निर्देश जारी किया। इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा कार्य का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया जिसके कारण इकाई को 11 अतिरिक्त दिनों के लिए बंद करना पड़ा जिससे 2.253 एमयू[25] ऊर्जा के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 2.47 करोड़[26] के फिक्स चार्ज की हानि हुई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि कार्य का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा रहा था तथा विलम्ब के लिए जुर्माने की कटौती अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन नियमित रूप से किये गए अनुश्रवण के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहा और विलम्ब से कार्य पूर्ण होने के कारण उत्पादन की महत्वपूर्ण हानि हुई।

'सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिकॉर्डिंग सिस्टम' की स्थापना में देरी के कारण त्रुटि का पता लगाने में विफलता

2.2.15 अनपरा टीपीपी के इकाई संख्या 1, 2 और 3 की स्थापना के समय (1986 और 1988 के मध्य) टीपीपी के उपकरण के साथ डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर (डीएएस) स्थापित किया गया था। डीएएस का मुख्य कार्य इकाई के संचालन के दौरान होने

[25] 110 मेगावाट x 7.76 प्रतिशत x 24 घंटे x 11 दिन / 1000।

[26] 2.253 एमयू x 1000000 x ₹ 10.9849 प्रति यूनिट।

वाली समस्याओं और उसके ट्रिपिंग के कारणों को प्रदर्शित और रिकॉर्ड करना है ताकि उपकरण में त्रुटि का समय पर पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2022) कि अनपरा टीपीपी के इकाई संख्या 2 और 3 में इसके डीएएस पुर्जों और ओईएम से सहयोग की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 2016 से कार्य करने की स्थिति में नहीं था जिसके कारण प्रबंधन समय पर समस्या को हल करने के लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता नही लगा सका। प्रबंधन ने इस तरह के कार्य के लिए इन इकाइयों में एक और वैकल्पिक प्रणाली अर्थात् सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिकॉर्डिंग सिस्टम (एसओई) स्थापित और चालू (19 फरवरी 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अप्रैल 2016 से फरवरी 2020 के दौरान अनपरा टीपीपी की इकाइयों की सभी ट्रिपिंग रिपोर्टों में प्रबंधन ने उल्लेख किया कि डीएएस सपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण ट्रिपिंग का कोई विशिष्ट कारण स्थापित नहीं किया जा सका। जो यह प्रमाणित करता है कि ट्रिपिंग कारणों के विश्लेषणों के लिए डीएएस या किसी वैकल्पिक प्रणाली की स्थापना आवश्यक थी ताकि ट्रिपिंग को कम किया जा सके परन्तु एसओई को पूर्व के डीएएस प्रणाली की अनुपलब्धता के तीन वर्षों से अधिक समय के बाद स्थापित किया गया था। इस विलम्ब के कारण, यूनिटों की ट्रिपिंग को कम करने के लिए विश्लेषण नहीं किया जा सका।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, प्रबंधन ने स्वीकार किया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो लागत मितव्ययिता का विश्लेषण करने के बाद डीएएस प्रणाली की स्थापना की जाएगी क्योंकि चालू इकाइयाँ बहुत पुरानी हैं।

निष्कर्ष

मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के नियोजन एवं निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। ओवरहालिंग का रोलिंग प्लान ओईएम अनुसूची के अनुसार तैयार नहीं किया गया। ओवरहालिंग की समय–सारणी का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। पुर्जों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप टीपीपी का परिहार्य शटडाउन हुआ और आर एंड एम कार्य का प्रभावी अनुश्रवण न करने के कारण अतिरिक्त अवधि के लिए इकाई को बंद करने के परिणामस्वरूप ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई।

संस्तुतियाँ

1. **ओवरहालिंग का रोलिंग प्लान ओईएम अनुसूची के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और ओवरहालिंग की समय–सारणी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।**
2. **क्रय के समय पुर्जों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।**
3. **ठेकेदारों को दिए गए कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जानी चाहिए।**

लेखापरीक्षा प्रस्तर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2.3 ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दक्षता मापदण्डों का पालन करने में विफल रहा और कोयला मंत्रालय द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के कारण उसको ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने सहारपुर जमारपानी कोयला खदान, दुमका, झारखण्ड के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (एमओसी) के साथ एक आवंटन अनुबंध किया (मार्च 2015)। आवंटन आदेश एमओसी द्वारा अगस्त 2015 में जारी किया गया। यूपीआरवीयूएनएल ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार एमओसी के पास निष्पादन प्रतिभूति के रूप में ₹ 412.50 करोड़ जमा किये (अप्रैल 2015) जो कि अनुबंध की अनुसूची–ई **(परिशिष्ट–2.7)** में सूचीबद्ध दक्षता मापदण्डों का अनुपालन करने में विफल रहने पर नामित प्राधिकारी (एमओसी) द्वारा विनियोजित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर 2019) कि यूपीआरवीयूएनल ने अप्रैल 2015 में एक साथ पहले (पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति) और दूसरे चरण (अन्वेषण की पूर्णता और भौगोलिक रिपोर्ट (जीआर) की तैयारी) की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विभिन्न कारणों[27] से आज तक (जुलाई 2022) पहला चरण भी हासिल नहीं कर सका। दूसरा चरण हासिल करने के लिए, यूपीआरवीयूएनएल ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), नागपुर और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट, राँची (सीएमपीडीआई) से अन्वेषण ड्रिलिंग कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया (अप्रैल 2015)। जीएसआई और एमईसीएल ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन सीएमपीडीआई ने सूचित किया (मई 2015) कि 'दुमका जिले में वर्तमान कानून–व्यवस्था की स्थिति ड्रिलिंग कार्यों को शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं थी। हालाँकि, अगर कानून–व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ, तो हम असाइनमेंट लेने में सक्षम हो सकते हैं' और प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया लेकिन जीआर की तैयारी के लिए परामर्श कार्य निष्पादित करना स्वीकार कर लिया। मार्च 2017 में, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) को अन्वेषण ड्रिलिंग कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे उसने कानून–व्यवस्था की स्थिति के कारण मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया। दिसम्बर 2017 में, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को सभी चरणों (परिशिष्ट–2.7 में उल्लिखित क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 13 तक) को पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया गया। हालाँकि, एमओसी के निर्देश (जून 2017) के अनुसार, दूसरे चरण का कार्य सीएमपीडीआई को 36 महीनों में पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ सौंपा गया (मई 2018)। लेकिन, फरवरी 2022 तक कानून–व्यवस्था की स्थिति के कारण दूसरे चरण का काम शुरू नहीं किया जा सका। इसके कारण, पीएफसीसीएल आवंटित कार्य को आंशिक रूप से ही पूरा कर सका।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि एमओसी ने चरणों को हासिल नहीं करने के लिए यूपीआरवीयूएनएल को तीन कारण बताओ नोटिस[28] जारी किये। यूपीआरवीयूएनएल द्वारा प्रस्तुत उत्तरों[29] की एमओसी की संवीक्षा समिति (समिति) द्वारा जाँच की गई

[27] कोयला ब्लॉक के सीमा मानचित्र में परिवर्तन, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने, अन्वेषण योजना की व्यवस्था करने, वन विभाग की सहमति प्राप्त करने तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने हेतु भूमि अनुसूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, आदि के कारण।

[28] मार्च 2016, जुलाई 2017 और मार्च 2018 में।

[29] मार्च 2016, जुलाई 2017 और अप्रैल 2018 में।

और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह पाया कि चरणों को हासिल न करने में त्रुटि यूपीआरवीयूएनएल के स्तर पर थी। समिति ने, अनुबंध के खंड 6.2.1 (डी) के अनुसार ₹ 82.50 करोड़[30] की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने की संस्तुति की (जुलाई 2018) और समिति की संस्तुति के अनुपालन में एमओसी ने निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित कर लिया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा का मत है कि चरण को हासिल नहीं करने की त्रुटि यूपीआरवीयूएनएल के स्तर पर थी क्योंकि प्रतिकूल कानून–व्यवस्था की स्थिति की जानकारी इसको मई 2015 से थी, लेकिन इसने इस स्थिति को एमओसी को फरवरी 2017 तक प्रस्तुत की गयी मासिक प्री–कमेन्समेण्ट रिपोर्ट (पीसीआर) में कभी सूचित नहीं किया और देर से इस स्थिति को मार्च 2017 से पीसीआर में शामिल किया और दक्षता मापदण्डों में संशोधन के लिए अनुरोध किया जिसे एमओसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप, एमओसी ने **परिशिष्ट–2.7** में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 4 के चरण को हासिल नहीं करने के लिए 20 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का निर्णय (अगस्त 2018) लिया। इसके अलावा, एमओसी ने क्रम संख्या 5 से 10 तक के चरणों को हासिल नहीं करने के लिए अतिरिक्त 35 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने के लिए एक और नोटिस जारी (सितम्बर 2018) किया। इसके विरूद्ध, यूपीआरवीयूएनएल ने फरवरी 2019 में माननीय कोयला न्यायाधिकरण गोड्डा, झारखण्ड के समक्ष एक याचिका दाखिल की जो कि विचाराधीन (जुलाई 2022) है।

इस प्रकार, दक्षता मापदण्डों की समय सीमा के संशोधन हेतु देरी से कार्यवाही करने के कारण, यूपीआरवीयूएनएल को ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

शासन एवं प्रबंधन ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2022/फरवरी 2022) कि झारखण्ड सरकार द्वारा यूपीआरवीयूएनएल को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना शेष है। अगस्त 2015 से मासिक पीसीआर में सभी प्रगति/बाधाओं/प्रतिकूल परिस्थितियों की सूचना लगातार एमओसी को दी गई है, लेकिन इसने निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के समय इनका संज्ञान नही लिया, जो यूपीआरवीयूएनएल के नियंत्रण से परे था। इसके अलावा, बैंक गारंटी के जब्तीकरण का मामला माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थिति को पीसीआर के माध्यम से फरवरी 2017 तक एमओसी को सूचित करने में विफल रहा, जिसके कारण एमओसी द्वारा दक्षता मापदण्डों के समय सीमा को हासिल न करने में कानून–व्यवस्था की स्थिति पर विचार नहीं किया गया। एमओसी द्वारा नियमित रूप से देरी के लिए नोटिस जारी किये गये और अंततः निष्पादन प्रतिभूति को विनियोजित कर लिया गया। इसके अलावा, माननीय कोयला न्यायाधिकरण द्वारा आज तक (जुलाई 2022) कोई स्थगन या अंतरिम/अंतिम आदेश पारित नही किया गया है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.4 राजस्व की कम बिलिंग

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक एचवी–2 श्रेणी के उपभोक्ता पर गलत टैरिफ लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ की कम बिलिंग हुई जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वसूल किया गया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश[31] जो 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले उच्च वोल्टेज (एचवी–2) श्रेणी

[30] ₹ 412.50 करोड़ की कुल जमा निष्पादन प्रतिभूति का 20 प्रतिशत होने के कारण।
[31] 12.09.2019 से लागू।

के उपभोक्ताओं पर लागू है, हेतु 'दर'[32] प्रावधानित करते हैं जिसपर उपभोक्ता को शहरी अनुसूची के तहत विद्युत के उपभोग के लिए बिल किया जाएगा। दर इस प्रकार थी:

तालिका 2.5: विद्युत के उपभोग के लिए दर

	11 केवी तक की आपूर्ति के लिए	**11 केवी से ऊपर और 66 केवी तक की आपूर्ति के लिए**	**66 केवी से ऊपर और 132 केवी तक की आपूर्ति के लिए**	**132 केवी से ऊपर की आपूर्ति के लिए**
डिमाण्ड चार्जेस	₹ 300 /केवीए/माह	₹ 290 /केवीए/माह	₹ 270 /केवीए/माह	₹ 270 /केवीए/माह
इनर्जी चार्जेस	₹ 7.10/केवीएएच	₹ 6.80/केवीएएच	₹ 6.40/केवीएएच	₹ 6.10/केवीएएच

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 66 केवी से ऊपर और 132 केवी तक और 132 केवी से ऊपर की आपूर्ति के लिए डिमाण्ड चार्जेस समान थे, हालाँकि इन दोनों श्रेणियों के लिए इनर्जी चार्जेस की दर अलग थी।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अधिशाषी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I, नोएडा (खण्ड) ने प्लास्टिक फिल्मों के निर्माण के उद्देश्य हेतु 132 केवी वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति हेतु मैसर्स यूफ्लेक्स लिमिटेड, सेक्टर–60, नोएडा (उपभोक्ता) के साथ 20 एमवीए के अनुबंधित भार का एक अनुबंध (मार्च 2014) किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2021) कि खण्ड ने अक्टूबर 2019 से उपभोक्ता के बिलों में **₹** 6.10/केवीएएच (132 केवी से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए लागू प्रभार) की दर से इनर्जी चार्जेस को प्रभारित किया, जबकि 132 केवी वोल्टेज आपूर्ति पर ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। सितम्बर 2019 में टैरिफ संशोधन से पहले उपभोक्ता को सही ढंग से बिल किया जा रहा था। इसलिए, उपभोक्ता को इनर्जी चार्जेस के मद में **₹** 6.10/केवीएएच के बजाय 132 केवी वोल्टेज तक आपूर्ति की गई ऊर्जा पर लागू होने वाले इनर्जी चार्जेस **₹** 6.40/केवीएएच की दर से प्रभारित किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, गलत टैरिफ लागू करने के कारण, कम्पनी ने अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2021 के दौरान **₹** 1.62 करोड़ के राजस्व की कम बिलिंग की **(परिशिष्ट–2.8)**।

इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2021), प्रबंधन ने जनवरी 2022 में उपभोक्ता से **₹** 1.62 करोड़ के कम बिलिंग की राशि की वसूली कर ली। प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2022) में कहा कि वर्तमान में उपभोक्ता को सिस्टम जनित बिल जारी किये जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि यद्यपि कम प्रभारित राशि की वसूली कर ली गई है, लेकिन उपभोक्ता की गलत बिलिंग कम्पनी में प्रचलित बिलिंग के सम्बन्ध में कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाती है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

कम्पनी को राजस्व बिलिंग पर अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए और अन्य खण्डों में अन्य समान श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों की समीक्षा करनी चाहिए और गलत बिलिंग के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

[32] फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जेस + इनर्जी चार्जेस (संचालन के घंटे पर लागू टाइम ऑफ डे की दरों सहित)।

2.5 गलत टैरिफ लागू करने के कारण राजस्व का कम प्रभारण

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, एचवी–1 श्रेणी के बजाय एचवी–2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग करने के कारण, ₹ 2.77 करोड़ के राजस्व का कम प्रभारण किया।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के खंड 3.7 में प्रावधान है कि लाइसेंसी समय–समय पर उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत या पुनः वर्गीकृत कर सकता है और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के अनुमोदन से उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग टैरिफ तय कर सकता है।

यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित उच्च वोल्टेज (एचवी–1) की दर अनुसूची[33], वाणिज्यिक भार, निजी संस्थानों और गैर–घरेलू थोक विद्युत उपभोक्ताओं आदि जिनका अनुबंधित भार 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक हैं और एकल बिन्दु पर 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति प्राप्त करते हैं, पर लागू होती है।

अग्रेतर, एचवी–2 उपभोक्ताओं की दर अनुसूची औद्योगिक और/या प्रसंस्करण उद्देश्यों के साथ–साथ आर्क/इंडक्शन फर्नेस, री–रोलिंग मिलों, मिनी स्टील प्लांटों आदि के उपभोक्ताओं जिनका अनुबंधित भार 75 किलोवाट (100 बीएचपी) और उससे अधिक है, हेतु 'दर' प्रावधानित करती है जिस पर उपभोक्ता को बिल किया जाएगा।

एचवी–2 (औद्योगिक) के लिए लागू दर एचवी–1 (गैर–औद्योगिक) के लिए लागू दरों से कम थीं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड-II (ईडीडी-II), मुरादाबाद एवं विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-II (ईयूडीडी-II), सहारनपुर ने एचवी–1/एचवी–2 श्रेणी के अन्तर्गत चार उपभोक्ताओं को भार स्वीकृत किए जो कि निम्न **तालिका 2.6** में वर्णित है।

तालिका 2.6: उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार

क्र. सं.	खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	आपूर्ति प्रकार	व्यवसाय की प्रकृति	भार स्वीकृति की तिथि	भार
1	ईडीडी-II मुरादाबाद	श्री रामेश्वर सरन, कोठीवाल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद	एचवी-2	डेंटल कॉलेज	9 फरवरी 2015	360 किलोवाट/ 400 केवीए
2		श्री टी. सी. पंत, परियोजना निदेशक, मुरादाबाद	एचवी-1	टोल प्लाजा का संचालन	30 जून 2014	144 किलोवाट/ 160 केवीए
3		कोठीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड प्रोफेशनल स्टडीज, मुरादाबाद	एचवी-1	कॉलेज	27 मई 2009	90 किलोवाट/ 100 केवीए
4	ईयूडीडी-II, सहारनपुर	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एचवी-1	बत्ती एवं पंखा और मिश्रित भार (निर्माण के उद्देश्य के लिए)	17 फरवरी 2012	225 किलोवाट/ 250 केवीए

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (अप्रैल–मई 2022) कि क्रम संख्या 1 के उपभोक्ता को गलत तरीके से एचवी–2 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और तद्नुसार बिल किया गया था जबकि क्रम संख्या 2 से 4 के अन्य उपभोक्ताओं को एचवी–1 श्रेणी के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था लेकिन बिलिंग एचवी–2 श्रेणी के तहत की गई थी।

इस प्रकार, इन उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और कम टैरिफ पर बिलिंग के कारण, कम्पनी ने जनवरी 2018 से अप्रैल 2022 **(परिशिष्ट 2.9)** के दौरान ₹ 2.77 करोड़ के कम राजस्व का प्रभारण किया।

[33] 9 दिसम्बर 2017, 2 फरवरी 2019 और 12 सितम्बर 2019 से लागू।

खण्ड ने उत्तर दिया (अप्रैल एवं मई 2022) कि तीन उपभोक्ताओं (तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 तक) की बिलिंग श्रेणी को एचवी–2 से एचवी–1 में परिवर्तित कर दिया गया है और राजस्व के अंतर की राशि को उनके बिल में जोड़कर वसूला जा रहा है एवं एक उपभोक्ता के सम्बन्ध में, कम प्रभारित राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

तथ्य यह है कि कम प्रभारित की गयी धनराशि की वसूली अभी भी लंबित है (जून 2022)।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.6 राजस्व की कम वसूली

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि के लागू प्रभारों की कम वसूली की।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के खंड 4.6 में प्रावधान है कि संयोजन जारी करने के लिए, एक प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और सम्बन्धित कार्य या तो लाइसेंसी द्वारा प्राक्कलन की पूरी धनराशि की वसूली के बाद या उपभोक्ता द्वारा प्राक्कलित धनराशि पर पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान के बाद निष्पादित किया जाएगा। इसमें अग्रेतर प्रावधान है कि यदि कार्य आवेदक द्वारा किया जाना है तो लाइसेंसी प्राक्क्लन में पर्यवेक्षण प्रभार, 3,600 किलोवाट (4,000 केवीए) तक भार जारी करने के लिए 15 प्रतिशत, 9,000 किलोवाट (10,000 केवीए) तक आठ प्रतिशत और 9,000 किलोवाट (10,000 केवीए) से ऊपर के भार पर पाँच प्रतिशत की दर से प्रभारित करेगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड (उपभोक्ता) को निम्न मध्यम वोल्टेज श्रेणी (एलएमवी–1) के तहत 4,600 किलोवाट (5,111 केवीए) का विद्युत भार स्वीकृत (फरवरी 2014) किया। कनेक्शन जारी करने के लिए, विद्युत वितरण खण्ड-I, बाराबंकी (खण्ड) ने ₹ 4.35 करोड़ मूल्य का प्राक्क्लन तैयार किया और उपभोक्ता द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने के कारण आठ प्रतिशत की दर से ₹ 34.77 लाख पर्यवेक्षण प्रभार जमा करने की मांग जारी (7 जुलाई 2014) की। उपभोक्ता ने उपरोक्त पर्यवेक्षण प्रभार 11 जुलाई 2014 को जमा कर दिया। अग्रेतर, कम्पनी ने अप्रैल 2021 तक चरणबद्ध तरीके से भार जारी करने की स्वीकृति (17 नवम्बर 2017) प्रदान की। पहले चरण में 460 किलोवाट (511 केवीए) का भार उपभोक्ता को जून 2018 में जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2021) कि उपभोक्ता केवल 1,379 केवीए भार का ही उपभोग कर सका और अप्रैल 2021[34] तक की अनुमत अवधि में 3,732 केवीए के शेष भार उपभोग करने में विफल रहा। इस स्थिति में, खण्ड द्वारा पूर्व में जारी पर्यवेक्षण प्रभार की मांग 15 प्रतिशत की दर से संशोधित की जानी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 30.44 लाख के पर्यवेक्षण प्रभार की कम वसूली हुई।

इसी तरह, अन्य उपभोक्ता मैसर्स शालीमार मन्नत टाउनशिप के प्रकरण में, कम्पनी ने एलएमवी–1 श्रेणी के तहत 3,700 किलोवाट (4,111 केवीए) के पहले स्वीकृत विद्युत भार को पुनर्जीवित (6 जुलाई 2019) किया। पुनर्जीवन आदेश की शर्त यह थी कि यदि उपरोक्त विद्युत भार का उपयोग उपभोक्ता द्वारा इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। खण्ड ने ₹ 3.69 करोड़ मूल्य का प्राक्कलन तैयार किया तथा उपभोक्ता

[34] 4,600 किलोवाट भार जारी करने की नियत तिथि।

द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने के कारण पर्यवेक्षण प्रभार आठ प्रतिशत की दर से जमा करने की मांग जारी (19 जुलाई 2019) की। उपभोक्ता ने उपरोक्त पर्यवेक्षण शुल्क 20 जुलाई 2019 को जमा कर दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता अनुमत अवधि में केवल 1,306 केवीए भार का ही उपभोग कर सका जो दर्शाता है कि उपभोक्ता ने 2,805 केवीए के शेष स्वीकृत भार को अभ्यर्पित कर दिया। इस स्थिति में, खण्ड द्वारा पूर्व में जारी पर्यवेक्षण प्रभार की मांग 15 प्रतिशत की दर से संशोधित की जानी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 25.82 लाख[35] के पर्यवेक्षण प्रभार की कम वसूली हुई।

(ब) आपूर्ति संहिता के खंड 4.43 (बी) में प्रावधान है कि यदि अनुरोधित बढ़े हुए भार के परिणामस्वरूप आपूर्ति के वोल्टेज और सिस्टम में बदलाव नहीं होता है, तो भार वृद्धि की स्वीकृति सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा आवेदन[36] स्वीकार करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी।

मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड ने भार को 920 किलोवाट (1,022 केवीए) तक बढ़ाने का अनुरोध (8 जुलाई 2019) किया। चूंकि, सम्बन्धित उपकरण को बदला जाना था, उपभोक्ता ने उसी तिथि को आवश्यक प्रभार (सिक्योरिटी डिपॉजिट और उपकरण की लागत) जमा कर दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तारित भार उपभोक्ता को 8 अगस्त 2019 की निर्धारित अवधि के विरूद्ध 30 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। इस प्रकार, भार लगभग 13 माह के विलम्ब से जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप फिक्स्ड चार्ज[37] के मद में ₹ 9.76 लाख[38] के संभावित राजस्व की हानि हुई। यह भी देखा गया कि खण्ड ने 30 अगस्त 2020 से कुल 1,533 केवीए (प्रथम चरण का भार + विस्तारित भार) के अनुसार बिल जारी नही किये। हालाँकि, इसने मनमाने ढंग से माह सितम्बर 2020 में 511 केवीए भार के लिए और अक्टूबर 2020 से नवम्बर 2021 के दौरान 1,379 केवीए के बिलों को जारी किया। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹ 2.62 लाख[39] के राजस्व की भी कम वसूली हुई। इस प्रकार, कम्पनी को कुल ₹ 12.38 लाख (₹ 9.76 लाख + ₹ 2.62 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

(स) लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड के करेंट ट्रांसफार्मर (सीटी)/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर (पीटी) को विद्युत परीक्षण खण्ड, बाराबंकी द्वारा 30 अगस्त 2020 को भार वृद्धि के कारण बदल दिया गया था। परिणामस्वरूप मल्टीप्लायिंग फैक्टर[40] (एमएफ) बदलकर 30 से 60 हो गया। उपभोक्ता की बिलिंग संशोधित एमएफ के आधार पर की जानी चाहिए थी लेकिन खण्ड ने उपभोक्ता को

---

[35] जीएसटी को छोड़कर।

[36] उन प्रकरणों में लागू जहाँ अतिरिक्त सिक्योरिटी, सिस्टम लोडिंग शुल्क और नए मीटर के लिए लागत जमा करने के बाद मीटरिंग और सम्बन्धित उपकरण को बदलने की आवश्यकता है, यदि लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्तित किया जाता है।

[37] 2 फरवरी 2019 से लागू ₹ 95/किलोवाट/माह और 12 सितम्बर 2019 से लागू ₹ 110/किलोवाट/माह ।

[38] (920 किलोवाट x 75 प्रतिशत x 95/किलोवाट x 1 माह) + (920 किलोवाट x 75 प्रतिशत x 110/किलोवाट x 12 माह)।

[39] (1,533 केवीए x 15 माह) - (511 केवीए x 1 माह + 1,379 केवीए x 14 माह) = 3,178 केवीए x 75 प्रतिशत x ₹ 110/किलोवाट/माह।

[40] जहाँ उपभोक्ता का भार 60 ए से अधिक है या आपूर्ति वोल्टेज 440 वोल्ट से अधिक है, मीटर की रेटेड क्षमता तक करंट और वोल्टेज को सीमित करने के लिए मीटरिंग सर्किट में करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर मीटर में प्रवाहित वोल्टेज और करंट को एक निश्चित अनुपात में कम कर देते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। इसलिए मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत उसी अनुपात में उपभोक्ता की वास्तविक खपत से कम होती है। उपभोक्ता की वास्तविक खपत की गणना करने हेतु, मीटर द्वारा दर्ज खपत को आनुपातिक फैक्टर से गुणा किया जाता है जिसे मल्टीप्लायिंग फैक्टर कहा जाता है।

पुराने एमएफ से 4 दिसम्बर 2021 तक बिल किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.61 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

(द) कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार, 3 एमवीए से 4 एमवीए से ऊपर के भार को जारी करने में उपभोक्ताओं से फिक्स्ड लाइन प्रभार की वसूली हेतु, सामग्री लागत के 30 प्रतिशत की दर से श्रम और ओवरहेड शुल्क प्रभारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता मैसर्स शालीमार मन्नत टाउनशिप के लाइन प्रभार की वसूली के लिए प्राक्कलन 30 प्रतिशत लेबर और ओवरहेड चार्ज के बजाय 10 प्रतिशत शामिल करने के बाद तैयार और अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलन ₹ 64.16 लाख की कम राशि का तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता से पर्यवेक्षण प्रभार ₹ 9.62 लाख (₹ 64.16 लाख x 15 प्रतिशत) कम वसूल किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने आपूर्ति संहिता और कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों का उल्लंघन कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया और ₹ 1.17 करोड़[41] के कम राजस्व की वसूली की।

उत्तर में, खण्ड ने लेखापरीक्षा आपत्तियों (विस्तारित भार के विलम्ब से जारी करने के मामले को छोड़कर) को स्वीकार (जून 2022) किया और कम वसूल की गयी धनराशि की मांग जारी की जिसके विरूद्ध उपभोक्ता मैसर्स शालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 26 लाख की वसूली की गई है। विस्तारित भार (बिन्दु ब) के विलम्ब से जारी करने हेतु, यह बताया गया कि विस्तारित भार जारी करने से पहले उपयुक्त क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना था और वह स्टोर में उपलब्ध नहीं था।

शेष धनराशि की वसूली अभी बाकी है। इसके अलावा, विस्तारित भार के प्रकरण में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तारित भार आपूर्ति संहिता के खंड 4.43 (बी) के अनुसार आवेदन को स्वीकार करने के एक माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2022)।

[41] (अ) ₹ 56.26 लाख + (ब) ₹ 12.38 लाख + (स) ₹ 38.61 लाख + (द) ₹ 9.62 लाख।